(109)

2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–श्योपुर निग–1710–I–16

2

कृपाशंकर सोनी पुत्र श्री राधेश्याम सोनी
निवासी एफ.सी.आई. गोदाम के सामने,
पाली रोड, श्योपुर म0प्र0

...... आवेदक

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर
जिला – श्योपुर म0प्र0

...... अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 22/2014–15 /अ–6 में पारित आदेश पत्रिका दिनांक 05.04.16 एवं 29.04.16 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्योपुर का आदेश एवं कार्यवाही अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत् विचार किये बिना ही जो आदेश पारित किया है, वह नितान्त, अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
3. यहकि, आवेदक द्वारा कस्बा सलापुरा के वार्ड नं.10 नई बस्ती सलापुरा के भूमि सर्वे क्रमांक 283/1 मिन–20 में से 76.09 वर्गमीटर मुताबिक नक्शा पंजीकृत विक्रय पत्र प्लाट क्र0 5 आवेदक द्वारा दिनांक 17.11.2014 को बाबूलाल पुत्र प्रहलाद दास वैश्य से क्रय किया है, इस प्रकार आवेदक उक्त प्लाट का स्वामी एवं आधिपत्यधारी है, ऐसी स्थिति में विक्रेता के स्थान पर राजस्व अभिलेख में उसका नाम इन्द्राज किया जाये। इस संबंध में नामान्तरण आवेदन आवेदक द्वारा तहसीलदार वृत्त–2, श्योपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जो प्रकरण क्रमांक 22/2014–15/अ–6 पर पंजीबद्ध किया गया। किन्तु आवेदन प्रस्तुती दिनांक 02.12.2014 से आज वर्तमान समय तक उक्त आवेदन पत्र का निराकरण नहीं किया गया। जोकि नितान्त, अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
4. यहकि, आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर तहसीलदार द्वारा अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों से आवेदन पत्र की विधिवत जॉच करायीं गयीं औंर उन्होंने अनुशंसा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है किन्तु इसके बावजूद आवेदन पत्र का निराकरण नहीं किया गया, जोकि नितान्त, अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1710-एक/16 **जिला** - श्योपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15/02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को कलेक्टर, जिला श्योपुर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **कलेक्टर जिला श्योपुर**	